मनफूल / लाली

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
27.8.21	पत्रावली पेश हुई। सरिश्ते रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ संलग्न स्थगन प्रार्थना-पत्र पर अपीलांट अभिभाषक को सुना तथा अपील के साथ प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत 2073-76 एवं तहत अदालत सहायक कलक्टर, बहरोड के आदेश दिनांक 05.04.2021 का अवलोकन किया। उक्त जमाबन्दी में विवादित आराजी पर अपी० मनफूल का 1/2 भाग खातेदारी में दर्ज है। अपीलाधीन निर्णय खातेदार अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। जबकि प्रतिवादी को सुना जाना आवश्यक है। इतना ही नहीं तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय धारा 212 RT ACT के तीनों बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का विवेचन नहीं किया है। उपरोक्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में 039 R3 5 में दी गई समयावधि में उभयपक्ष को सुनकर धारा 212 RT ACT के प्रार्थना-पत्र का निस्तारण करने हेतु हम तहत न्याया० सहायक कलक्टर बहरोड को निर्देशित किया जाना न्यायसंगत समझते हैं। अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर तहत अदालत सहायक कलक्टर, बहरोड द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.4.21 उनवान लाली बनाम मनफूल का प्रचलन आराजी खसरा नम्बर 1341, 1344, 1481, 1555/2537, 1715, 2167 वाके ग्राम गण्डाला त. बहरोड एवं खसरा नम्बर 242, 547 वाके ग्राम चन्द्रमुरादपुर त. बहरोड में से अपीलांट के 1/2 हिस्से --- लगातार

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिका
अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
	की हद तक स्थगित किया जाता है। शेष के सम्बन्ध में तहत अदालत का आदेश यथावत रखते हुये तहत अदालत सहायक कलक्टर बहरोड को आदेशित किया जाता है कि वे उभयपक्षकारान को सुनकर CPC के आदेश 39 नियम 3 क मे दी गई समयावधि तीस दिन के अन्दर धारा 212 RT ACT के प्रार्थना-पत्र का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। अपीलांट नियत दिनांक को वास्ते सुनवाई तहत अदालत में उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर की जावे 27/8/202[illegible] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर